FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम अराई, अजमेर

• हनुमान बनाम कल्याण

39/2026

किस्म मुकदमा – निर्णय प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह

वकील अप्रार्थीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01/06/2026	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री भवानी सिंह राठौड द्वारा पेश कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.का.अधि. केतहत विचाराधीन था जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2026 को प्राथमिक डिक्री व आदेश जारी कर दिये गये थे किन्तु वादी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा नहीं करवाने तथा अनुपस्थित रहने से वादी का वाद दिनांक 11.02.2026 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण उक्त वाद में कमिश्नर शुल्क जमा करवाकर वादी की भांति वाद को आगे चलाना चाहतें हैं अतः श्रीमान से निवेदन हे कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद संख्या 58/2025 को रिस्टोर करने की कृपा करें। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वकील वादी एवं वादी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा नहीं करवाने तथा अनुपस्थित रहने से वादपत्र को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया था जबकि वाद में प्राथमिक डिक्री जारी हो थी, अब प्रतिवादी, वादी की भांति वाद को विचाराधीन रखना चाहतें हैं अतः न्यायहित में प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद संख्या 58/2025 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। वकील वादी/प्रार्थी को आगामी तारीख पेशी दिनांक 19/6/2026 पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। WD उपखण्ड अधिकारी (अराई, अजमेर)	